"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 756] रायपुर, सोमवार, दिनांक 4 नवम्बर 2019 — कार्तिक 13, शक 1941

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर

अटल नगर, दिनांक 4 नवम्बर 2019

अधिसूचना

क्रमांक एफ 04–03/2018/32.— पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का सं. 29) के अंतर्गत निर्मित ध्वनि प्रदूषण (विनियमन एवं नियंत्रण) नियम, 2000 के नियम 3 के उप नियम (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उक्त उप–नियम के परिशिष्ट के अनुसार, ध्वनि प्रदूषण के प्रभावी नियंत्रण के लिये सभी ध्वनि प्रणाली/लोक संबोधन प्रणाली में ध्वनि सीमक (सीमकों) के आवश्यक रूप से उपयोग के लिए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, इस अधिसूचना को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में तत्काल प्रभाव से जारी करते हैं;

अतएव, किसी भी ध्वनि प्रणाली का, किसी भी ऐसे विनिर्माता/व्यापारी/दुकानदार/एजेंसी, जो लोक संबोधन प्रणाली को/संबंधित प्रणाली के उपकरणों को एकल रूप से किराये पर देते हैं, के द्वारा इसमें ध्वनि सीमक के बिना, विक्रय/क्रय/प्रदाय/संस्थापन/उपयोग नहीं किया जायेगा/किराये पर नहीं दिया जायेगा। सभी अनुज्ञा देने वाले प्राधिकारी, जिसमें पुलिस प्राधिकारी, नगर पालिक निगम, नगर पालिक परिषद्, नगर पंचायत, पंचायत सम्मिलित है, यह सुनिश्चित करेंगे कि कोई भी ध्वनि प्रणाली या लोक संबोधन प्रणाली, ध्वनि सीमक सज्जित किये बिना, किसी भी शासकीय या गैर–शासकीय कार्यक्रमों में स्थापित नहीं किये जाये या किराये पर नहीं लगायें जायें तथा संबंधित एजेन्सियों द्वारा जारी सभी अनुज्ञप्तियों में, इस शर्त को सम्मिलित किये जायें।

No. F 04-03/2018/32.— In exercise of the power conferred by sub-Rule (3) of rule 3 of the Noise Pollution (Regulation and Control) Rules, 2000 made under the Environment (Protection) Act, 1986 (No. 29 of 1986), the Governor of Chhattisgarh, hereby, issues this Notification for mandatory use of Sound Limiter (s) in all Sound System/Public Address System for effective control of Noise Pollution in the whole state of Chhattisgarh with immediate effect as an addendum to said sub-Rule ;

Now therefore, No sound system should be sold/ purchased/ supplied/ installed/ used/ let out by any manufacturer/ dealer/ shopkeeper/and agency who lets out the Public Address system/individual without having sound limiter in it. Further, all Licensing Authorities including Police Authorities, Municipal Corporation, Municipal Councils, Nagar Panchayats, Panchayat shall ensure that no audio system or public address system shall be installed/ let out without being fitted with sound limiter in any government or non government function and this condition be included in all licenses issued by respective agencies.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रेजीना टोप्पो, अपर सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2019.